न्यायालयः राकेश कुमार–III

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 174 / 2026

राघोपुर थाना कांड सं0– 179 / 2024

27/04/26	**1. चनर सादा पे0 ढ़ोकाय सादा** **2. सुभाष कुमार उर्फ सुभाष सादा पे0 लखन सादा** **3. मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार सादा पे0 विनर सादा** **4. नितीश कुमार उर्फ नितीश सादा पे0 विनर सादा** **सभी सा0– धरहरा महादेव स्थान, वार्ड नं0 08 थाना– राघोपुर, जिला–सुपौल.....आवेदकगण** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी** _____ प्रार्थी अभियुक्त 1. चनर सादा 2. सुभाष कुमार उर्फ सुभाष सादा 3. मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार सादा एवं 4. नितीश कुमार उर्फ नितीश सादा की ओर से राघोपुर थाना कांड सं0–179 / 2024 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार ठाकुर ने निवेदन किया है कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त को गलत ढंग से झूठा फंसाया गया है तथा उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 307 भा0दं0वि0 के तहत् लगाया गया आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। उक्त आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि प्रस्तुत वाद का पलटा मुकदमा भी दर्ज है तथा प्राथमिकी में लगाया गया आरोप गलत एवं मनगढन्त है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि प्रार्थी आवेदकगण एवं प्राथमिकी सूचक के बीच घटना दिनांक 20 / 05 / 2024 की है तथा प्राथमिकी दिनांक 23 / 05 / 2024 को दर्ज किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों को मानने तथा सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद सूचक मंटु सादा के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त सहित कुल 9 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा–147, 148, 149, 341, 325, 307, 504, 506 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षप में कथन है कि दिनांक 20 / 05 / 2024 के समय रात के करीब 10.00 बजे उनके घर के बगल पंचायत भवन स्कूल के पास मोबाईल के चलते आपस में बाता बाती हुई जिसपर वेलोग चिल्लाकर अपने आदमी सब को बुलाने लगे जिसमें प्रार्थी अभियुक्त सहित कुल 9 अभियुक्तगण एकराय होकर लाठी, फट्ठा दबिया, लोहा का रॉड से लैश होकर आया और गाली गलौज करने लगा, जिसपर सूचक मना किया तो विनर सादा लोहा के रॉड से एवं मनीश सादा लाठी से अंधाधुन्ध कपार पर मारपीट कर सूचक का कपार फोड़ कर मारपीट कर जमीन पर गिरा दिया। सूचक को बचाने के लिए उसका भाई सुरेन सादा आया तो लड्डू लोहा के रॉड से तथा सुभाष सादा लाठी से मारकर उसका बॉया हाथ तोड़ दिया एवं सभी मारपीट कर अधमौवत कर दिया। दोनो को बचाने के लिए उसका बेटा विजल सादा आया जिसे फेकन सादा एवं चनर सादा मारपीट किया तथा तीनो को मारपीट कर अधमौवत व लहुलुहान कर दिया। हल्ला पर लोग सब आकर तीनो का जान बचाया और ग्रामीणों के सहयोग से अस्पताल में ईलाज कराया गया। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद प्रार्थी अभियुक्तगण एवं अन्य पर सूचक, उनके पुत्र व भाई के साथ गाली–गलौज, मारपीट कर जख्मी करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। प्रार्थी अभियुक्त सुभाष कुमार पर सूचक के भाई सुरेन सादा को लाठी से मारकर बांया हाथ तोड़ने का, प्रार्थी अभियुक्त चनर सादा एवं मनीष सादा पर	**लगातार**

न्यायालयः राकेश कुमार–III

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 174 / 2026

राघोपुर थाना कांड सं0– 179 / 2024

27/04/26 **लगातार**	सूचक के भाई को मारकर लहूलूहान, अधमरा करने का स्पष्ट आरोप भी है। कांड दैनिकी की कंडिका 21, 24, 26, 34, 35 एवं 53 के अवलोकन से विदित है कि वाद के तीन जख्मियों यथा विजल सादा, सूचक मंटु सादा एवं सुरेन सादा को शरीर के विभिन्न मर्म स्थल एवं अन्य भागों पर जख्म कारित हुआ है। जख्मी विजल सादा को गाल एवं हाथ में तीन जख्म यथा Laceration on right side of cheek, Swelling on left side of wrist joint एवं swelling on left side of foreary bone पर कारित हुआ जिसमें एक जख्म गंभीर प्रकृति का पाया गया। जख्मी / सूचक मंटु सादा को सिर पर दो lacerating जख्म एवं कान पर एक Abrasion कारित हुआ जो कि शरीर का मर्म भाग है। इसी प्रकार जख्मी सुरेन सादा को हाथ पर एक Abrasion और एक swelling कारित किया गया है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्तों पर सूचक, उनके भाई एवं उनके पुत्र को जान मारने की नियत से हथियार से सिर एवं शरीर के मर्म भाग पर मारने का स्पष्ट आरोप है। कंडिका 17 एवं 56 में प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है परंतु अभिलेख एवं कांड दैनिकी में प्रार्थी अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है एवं जख्म प्रतिवेदन से घटना का समर्थन होता है और कंडिका 101 में भी प्रार्थी अभियुक्तों के विरुद्ध मामला सत्य पाया गया है तथा वर्तमान में मामला अनुसंधानरत है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं जख्मियों का जख्म को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी अभियुक्तगण **1. चनर सादा 2. सुभाष कुमार उर्फ सुभाष सादा 3. मनीष कुमार उर्फ मनीष कुमार सादा एवं 4. नितीश कुमार उर्फ नितीश सादा** की ओर से दाखिल **अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	